तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 88/2023** **सीआईएस संख्या 126/2023** **सुरज सिंह बनाम श्रीमती उषा कवंर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। और बहस नहीं करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पूर्व में सुनी जा चुकी है। जिसका इस आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादी द्वारा जिस इकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना बाबत वादपत्र पेश किया गया है, उसके सम्बंध में उसको कोई भी वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि इकरारनामा में किरायेदारों द्वारा कब्जा खाली कर देने व सम्पत्ति का बंटवारा हो जाने की शर्त निहित थी। इसके पश्चात ही वादकारण वादी को उत्पन्न हो सकता था। चूंकि किरायेदार अभी भी सम्पत्ति पर काबिज है तथा सम्पत्ति बिना बटी है। अतः वादी का वाद प्रि–मैच्योर है। साथ ही वादी द्वारा सम्पत्ति के किरायेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि इकरारनामा में जो भी शर्ते थी, उनकी पालना स्वयं प्रतिवादीगण को करनी थी, जो कि उनके द्वारा नहीं की गयी है। जिस पर विधिक नोटिस भी प्रतिवादीगण को दिया गया है। जिसका उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। अतः वादी द्वारा उक्त इकरारनामा की पालना हेतु वादपत्र पेश किया गया है तथा इकरारनामा के निष्पादन से प्रतिवादीगण ने इंकार नहीं किया गया है। केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के आशय से निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया गया है। जहां तक आदेश–7 नियम–11 सी.पी.सी. का प्रश्न है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश–7 नियम–11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल वाद पत्र के अभिवचनों का अवलोकन करना होता है तथा प्रतिवादी की प्रतिरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। उक्त विधिक परिस्थितियों के प्रकाश में जहां तक हस्तगत प्रकरण का सम्बंध है, वादी द्वारा प्रतिवादीगण से वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत निष्पादित इकरारनामा की पालना हेतु वादपत्र पेश किया गया है, जिस इकरारनामा के निष्पादन से	

	प्रतिवादीगण द्वारा इंकार नहीं किया गया है, वरन् इकरारनामा की शर्तों की अनुपालना नहीं होने से वादी को वादकारण उत्पन्न नहीं होना एवं काबिज किरायेदारों को पक्षकार नहीं बनाने से वाद खारिज करने का निवेदन किया गया है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि इकरारनामा के अवलोकन से दर्शित है कि जहां तक सम्पत्ति का रजिस्टर्ड बंटवारा नामा निष्पादित करवाने व किरायेदारों से कब्जा खाली करवाने का प्रश्न है, उक्त दोनों ही दायित्व इकरारनामा में प्रतिवादीगण के होना दर्शित है, ना की वादी के। साथ ही वादी द्वारा इकरारनाम की अनुपालना हेतु नोटिस भी दिया जाना दर्शित है तथा इकरारनामा की पालना नहीं करने के आधार पर वादकारण उत्पन्न होना बताते हुये हस्तगत वादपत्र पेश किया गयाहै। वहीं जहां तक किरायेदारों को पक्षकार नहीं बनाने का प्रश्न है, वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित इकरारनामा की अनुपालना हेतु वादपत्र पेश किया गया है। अतः तृतीय पक्ष उसमें किसी प्रकार आवश्यक पक्षकार होना दर्शित नहीं है। किसी प्रकार उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में वादी का वाद प्रि–मैच्योर होना अथवा विधि द्वारा वर्जित होना दर्शित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली जवाब दावा हेतु नियत की जाती है। वादपत्र पेश हुये काफी समय हो चुका है। अतः जवाब दावा पेश करेन हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। आईन्दा आवश्यक रूप से जवाब दावा पेश करे। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब दावा हेतु दिनांक 28.10.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर सेशन न्यायाधीश,** **कम–3, अजमेर**	